न्यायालय न्यायिक मजिस्ट्रेट, बीसलपुर, पीलीभीत।.

<u>परिवाद संख्या 1119/2022</u>

<u>C.N.R.NO-UPPB100012642025</u>

कुलदीप पाण्डेय ....**बनाम**............ पंकज गुप्ता।।

<u>दिनॉक:04.07.2025</u>

अभियुक्त पंकज गुप्ता का जमानत प्रार्थना पत्र परिवाद संख्या 1119/2022, धारा 323 भा0दं0सं0, कोतवाली बीसलपुर, जिला पीलीभीत में प्रस्तुत किया गया है। अभियुक्त न्यायिक अभिरक्षा में निरूद्ध है।

सुना तथा अवलोकन किया।

अभियुक्त उपर्युक्त के अधिवक्ता विद्वान द्वारा कथन किया गया है कि अभियुक्त उपरोक्त वाद में वॉछित है। अपराध जमानतीय है। रंजिशन झूठा फसाया गया है तथा उसके द्वारा ऐसा कोई भी अपराध नही कारित किया गया है। अभियुक्त निर्दोष है। वह अपनी जमानते देने को राजी है।

अभियुक्त उपरोक्त द्वारा कारित जमानतीय होना कहा गया है। अभियुक्त का प्रस्तुत मामला परिवाद मामला है। अतः उपरोक्त समस्त तथ्यों एवं परिस्थितियों के दृष्टिगत जमानत आधार पर्याप्त है।

अतः अभियुक्त द्वारा मु0 20,000/—रूपये का व्यक्तिगत बन्धपत्र व इतनी ही धनराशि के दो स्थानीय सक्षम प्रतिभूगण प्रस्तुत करनें पर दौरान विचारण जमानत पर रिहा किया जाए।

(दुष्यंत कुमार शर्मा)
न्यायिक मजिस्ट्रेट,
बीसलपुर,पीलीभीत।